बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीयुत् सुरेन्द्र गोयल, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 6.12.2016 को उनके कार्यालय कक्ष में मा0 मंत्रीगणों के दौरे के समय प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी/उनके प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया।

1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 आयुक्त, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
6 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, चौपाल, रेल्वे स्टेशन, जयपुर।

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से संबंधित सभी जनसमस्याओं पर बिन्दुवार विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा उन पर अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश प्रदान किये गये कि सभी समस्याओं का अनिवार्य रूप से शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाऐ।
2. स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला सिरोही, झुंझूनुं, बांसवाडा, डूँगरपुर, अजमेर एवं अन्य जिलों में शौचालय निर्माण उपरान्त देय अनुदान के भुगतान का लाभार्थीवार समीक्षा करने एवं एक माह में सभी को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु जिलों को पाबन्द करने के निर्देश दिये गये।
3. पंचायत समिति पुनर्गठन के संबंध में जिला जैसलमेर, टोंक व धौलपुर से प्राप्त शिकायतों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंचायत समिति का पुनर्गठन हाल ही में हुआ है अतः फिलहाल इस विषय पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।
4. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में समय पर स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में झुंझुनूं से प्राप्त शिकायत पर निर्देश किये गये कि जिला कलक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक 15 दिवस में लम्बित स्वीकृतियों की समीक्षा करे तथा योजना में स्वीकृतियॉं जारी किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर पर इसकी प्रत्येक माह गम्भीरता से समीक्षा की जाए।
5. आम रास्तों में अतिक्रमण हटाने, सरपंच द्वारा आवास पट्टा जारी किये जाने के संबंध में जिला टोंक व धौलपुर से प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी से विस्तृत जांच करवाकर प्रकरण शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिये गये।

6-12-16

6. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सूची में जलग्रहण संबंधी कोई बिन्दु नहीं है। किसी अन्य विभाग की सूची में त्रुटीवश जल ग्रहण का कोई बिन्दु सम्मिलित हो तो उनकी सूची अलग से तैयार कर अनुपालना की जाए।

अन्त में अन्य सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर निर्देशित किया गया कि समस्त समस्याऐं जो कि योजना या क्षेत्र विशेष की है, उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विकास अधिकारी से जांच करा कर उनका निस्तारण एक माह में किया जाना सुनिश्चित करेगें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

6.12.16

(सी.एल.वर्मा)
परि०निदे०एवं पदेन उप सचिव
(एम एण्ड ई)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 2 (3)ग्रावि/अनु.–8/2015 जयपुर, दिनांक 6-12-16

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. विशिष्ट शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सररकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, चौपाल, रेल्वे स्टेशन, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।

6.12.16

परि०निदे०एवं पदेन उप सचिव
(एम एण्ड ई)